

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ4 (ई) G-181/86R/अलेसे-III/12343

दिनांक - 02.02.12.

✓ जिला परिवहन अधिकारी
चुरू।

विषय - श्री ओम प्रकाश गेट, लेखाकार के स्थानान्तरण बाबत।

प्रसंग - आपका पत्र क्रमांक 1451 दिनांक 30-01-2012

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि श्री ओम प्रकाश गेट, लेखाकार के द्वारा, माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर की चलपीठ जोधपुर के आदेश दिनांक 25-01-2012 के द्वारा विभागीय आदेश संख्या 214/2011-12 दिनांक 22-12-2011 पर स्थगन प्रदान कर दिया गया है। अतः न्यायालय की निर्णय की पालना में श्री ओम प्रकाश को कार्यग्रहण करावे एवं श्री गिरीश चन्द कुमावत, क0लेखाकार को विभागीय आदेश सं0 166/2011-12 दिनांक 25-10-2011 (प्रति रालग्न है) की पालना में सहायक निदेशक, कृषि विभाग, चिडावा, (झुझुनू) में कार्यग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त करने का श्रम करें।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)

दिनांक -

क्रमांक - एफ4 (ई) G-181/86R /अलेसे-III/

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है -

- 1 सहायक निदेशक, कृषि विभाग, चिडावा, जिला झुझुनू।
- 2 विकास अधिकारी, पंचायत समिति चुरू *कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, चुरू*
- 3 श्री गिरीश चन्द कुमावत, क0लेखाकार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे सहायक निदेशक, कृषि विभाग, चिडावा, जिला झुझुनू के कार्यालय में कार्यग्रहण कर अविलम्ब अवगत करावे।
- 4 श्री ओम प्रकाश, लेखाकार जिला परिवहन अधिकारी, चुरू।

ह0 -

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II)